Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	05/08/2024
Edition (H/E)	Hindi
Page No.	06

8,509 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा

सीएजी ने वन भूमि पर कब्जे को लेकर रिपोर्ट में जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : प्रदेश की 8,509 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है। यह कब्जा 17 वन प्रभागों में मिला है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने वन भूमि पर कब्जे को लेकर आपत्ति जताई है। इसमें से वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच पांच वर्षों में 5,229 हेक्टेयर क्षेत्र में कब्जा हुआ है। वन विभाग केवल 760 प्रकरणों में 2,516 हेक्टेयर वन भूमि से ही कब्जा हटा सका है। सीएजी का मानना है कि कब्जा रोकने में विफल रहने के कारण ही वनीकरण गतिविधियों के लिए वन भूमि की उपलब्धता कम हुई है।

प्रदेश में कुल 14817.89 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 6.15 प्रतिशत है। उत्तराखंड के उप्र से अलग होने के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2002 में प्रदेश सरकार को वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और सभी कब्जों की समग्र सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने/हटाने में राजस्व

सीएजी रिपोर्ट

- वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच हुआ 5229 हेक्टेयर पर कब्जा
- केवल 760 मामलों में 2516 हेक्टेयर भूमि ही हुई कब्जा मुक्त

अधिकारियों सहित क्षेत्रीय संगठन की विफलता के लिए उत्तरदायित्व तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन भी किया जाना था।

सीएजी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि मार्च 2022 तक 17 वन प्रभागों में 8,509 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है। इसमें से, 310 प्रकरण में कब्जा वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान किया गया। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के बावजूद वन विभाग ने कब्जा हटाने के लिए न तो कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की। वन विभाग पुराने कब्जे खाली कराने के साथ ही नए कब्जे रोकने में भी विफल रहा। इसी का परिणाम है कि वनीकरण गतिविधियों के लिए वन भूमि की कम उपलब्धता हुई।

वन विभाग ने सीएजी को दिए गए अपने जवाब में कहा है कि वन भूमि से कब्जा हटाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा 50 प्रतिशत प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं। इसके बावजूद भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए नियमित प्रयास किए गए हैं। हालांकि सीएजी ने विभाग की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है। सीएजी ने वन विभाग से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उसके दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य संबंधित सरकारी विभागों के समन्वय से वन भूमि के अतिक्रमण को समयबद्ध तरीके से हटाने की संस्तुति की है।

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान
Date	06/08/2024
Edition (H/E)	Hindi
Page No.	09

अगस्त में पौधरोपण, मार्च में खपाया बजट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। वन विभाग का वृक्षारोपण लक्ष्य साल दर साल बढ़ता जा रहा है। विभाग का सर्वाधिक काम बारिश के महीनों में होता है। जाहिर है खर्च भी उसी अवधि में अधिक होना चाहिए। मगर विभाग में वित्तीय वर्ष के अंत यानी मार्च के महीने में बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब वृक्षारोपण जुलाई-अगस्त में हो रहा है तो मार्च में करीब 40 फीसदी तक बजट कहां खपाया जा रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही राज्य सरकार से सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में खर्च के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए।

राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अधिक खर्च को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है। मगर वन विभाग में लगातार ऐसा हो रहा है। सीएजी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। लेखा परीक्षा द्वारा प्रदेश के 23 वन प्रभागों में की गई नमूना जांच में यह बात सामने आई है। इन वन प्रभागों में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

23 वन प्रभागों में की गई जांच में यह सामने आया

40 फीसदी तक बजट मार्च में खपाया जा रहा

प्रदेश में साल दर साल इस तरह खर्च किया गया बजट

वर्ष	कुल खर्च	मार्च में खर्च	खर्च का प्रतिशत
2016-17	155.93 करोड़	54.03 करोड़	34.65 फीसदी
2017-18	084.39 करोड़	16.24 करोड़	19.24 फीसदी
2018-19	106.08 करोड़	35.71 करोड	33.67 फीसदी
2019-20	197.98 करोड़	75.07 करोड़	37.92 फीसदी
2020-21	250.39 करोड़	70.04 करोड़	27.97 फीसदी
2021-22	284.71 करोड़	113.68करोड़	39.93 फीसदी

विभाग ने गलती स्वीकारी, सभी डीडीओ को दिए निर्देश

मार्च में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किए जाने को सीएजी ने गलत ठहराया है। खास बात यह है कि सीएजी की इन आपत्तियों को विभाग ने अपने अप्रैल 2023 में दिए गए उत्तर में स्वीकार किया है। विभाग ने अपने जवाब में कहा कि समय पर बजट खर्च करने के निर्देश सभी डीडीओ को दिए जाते हैं।

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण (जागरण सिटी)
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	IV

www.jagran.com

स्कूटर और बाइक से हुई पौधों की ढुलाई

- पौधारोपण में अनियमिताएं, वन आवरण में भी आई कमी
- ग्राम विकास विभाग के लगाए पौधों की जीवित दर मात्र 28%

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : पौधारोपण के लिए वन विभाग ने ट्रैक्टर व जेसीबी के बजाय स्कूटर, बाइक और ई-रिक्शा से पौधों की ढुलाई करवाई, गड्ढे खोदे और जमीन समतल करवाई। यह राजफाश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में नमूना जांच में हुआ है। यह रिपोर्ट गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई। भुगतान के लिए लगाए गए वाउचर में दर्ज वाहन संख्या का जब परिवहन विभाग के पोर्टल से मिलान हुआ तो यह गड़बड़ी सामने आई। रिपोर्ट में पौधारोपण पर भारी खर्च के बावजूद वन क्षेत्र के अंदर वनावरण में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2017 में 9,243 वर्ग किलोमीटर से वर्ष 2021 में 9,143 वर्ग किलोमीटर रह गया।

सीएजी ने वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का परीक्षण किया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के कामों का परीक्षण किया गया है। इन छह वर्षों में वन विभाग ने अन्य विभागों के सहयोग से 103.78 करोड़ पौधे लगाए थे। वर्ष 2016-17 में पौधारोपण का 83 प्रतिशत वन विभाग ने किया और बाकी अन्य विभागों ने 17 प्रतिशत पौधे लगाए थे। वहीं, 2021-22 में वन विभाग का लक्ष्य 36 प्रतिशत और अन्य विभागों का लक्ष्य बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्राम्य विकास विभाग ने बिना कार्ययोजना के ही पौधारोपण किया। इस कारण उसके लगाए पौधे अधिक संख्या में मर गए। ग्राम्य विकास विभाग के लगाए पौधों का जीवित दर मात्र 28.45 प्रतिशत रहा, जबकि छह वर्ष में 88.77 करोड़ रुपये रखरखाव पर खर्च हुए हैं। विभाग ने 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे इसमें करीब आठ करोड़ पौधे मर गए। सीएजी ने 22 जिलों की जांच की तो सामने आया कि 20 जिलों में पौधारोपण को लेकर कोई कार्य योजना ही तैयार नहीं थी। पौधारोपण पर वन विभाग ने छह वर्ष में 3459.69 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावी निगरानी न होने के कारण वनावरण कम हुआ है। प्रदेश के 14 वन प्रभागों ने मृत पौधों के स्थान पर जो पौधे लगाए, उनको अगले वर्ष के लक्ष्य में शामिल कर लिया। इस पर भी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में आपत्ति जताई है। सीएजी ने छह वर्ष में कैंपा योजना से मिली 1,179 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च न होने पर भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा 16 वन प्रभागों की 149 नर्सरियों में 1.25 करोड़ पौधे क्षमता से अधिक उगाए गए।

स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान

वन विभाग के कई वन प्रभागों ने स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान पर भी सीएजी ने आपत्ति उठाई है। परीक्षण के दौरान सात वन प्रभागों के 37 प्रकरण में अधिक दर पर भुगतान किया गया। इस कारण 27.58 लाख रुपये के अधिक भुगतान हुआ है। सीएजी ने विभाग की दलीलों को अस्वीकार कर दिया है।

ग्राम विकास विभाग ने वन विभाग पर मढ़े आरोप : ग्राम्य विकास विभाग ने अप्रैल 2023 में सीएजी के समक्ष रखे पक्ष में वन विभाग पर आरोप मढ़े हैं। कहा कि वन विभाग ने कम गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति की। रखरखाव की कमी के कारण भी पौधों की मृत्यु दर प्रभावित हुई। सीएजी ने कहा कि यदि वन विभाग ने अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति नहीं की थी तो ग्राम्य विकास विभाग को इसे वन विभाग से शिकायत करनी चाहिए थी किंतु उसने ऐसा नहीं किया।

Name of the Newspaper	नवभारत टाइम्स
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	13

'बाइक-स्कूटर' से पौधे ढोए और गड्ढे भी खोद डाले

CAG रिपोर्ट : वाउचर जेसीबी और ट्रैक्टर के लगाए गए

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : वन विभाग ने पौधरोपण के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर की जगह स्कूटर, बाइक और ई-रिक्शा से पौधों की ढुलाई करवाई। इनसे ही पौधों के लिए गड्ढे खोदे गए और जमीन समतल की गई, जबकि वाउचर जेसीबी और ट्रैक्टर के लगाए गए। जांच में पता चला कि जिन वाहन नंबरों को जेसीबी और ट्रैक्टर का बताया गया, वे स्कूटर, बाइक और ई-रिक्शा के हैं। यह खुलासा विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी गई CAG रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में पौधरोपण पर भारी खर्च करने के बावजूद फॉरेस्ट कवर कम होने की बात भी है।

CAG रिपोर्ट में 2015-16 से 2021-22 तक के काम का ऑडिट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग ने बिना कार्ययोजना के ही पौधरोपण किया। 22 जिलों की जांच की गई तो इसमें पाया गया कि 20 जिलों में कार्य योजना तैयार नहीं की। वहीं, प्रदेश के 14 वन प्रभागों ने मृत पौधों के एवज में जो पौधे लगाए, उनको अगले साल के लक्ष्य में शामिल करके अपनी उपलब्धि को बढ़ा दिया।

ये खामियां भी मिलीं

19% से 39% पौधरोपण का बजट मार्च में खर्च दिखाया गया, जबकि पौधरोपण का सही समय जुलाई और अगस्त होता है।

28.45% मात्र ग्राम्य विकास विभाग के लगाए पौधों का सर्वाइवल रेट रहा, जबकि छह साल में 88.77 करोड़ रुपये रखरखाव पर खर्च किए गए।

1,179 करोड़ राशि छह साल में कैंपा योजना से मिली, लेकिन खर्च ही नहीं की गई।

16 प्रभागों की 149 नर्सरियों में 1.25 करोड़ पौधे क्षमता से अधिक उगाए गए।

Name of the Newspaper	अमर उजाला
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	03

भारी-भरकम राशि खर्च करने पर भी प्रदेश में कम हो रहा वन क्षेत्र

कैग रिपोर्ट में खुलासा : घोषणा के बावजूद नहीं बनाया वन संरक्षण कोष

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में भारी-भरकम राशि खर्च करने के बावजूद वन क्षेत्र में जंगल कम हो रहे हैं। इसका खुलासा विधानसभा में शुक्रवार को रखी गई कैग की रिपोर्ट में किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 2017 में वन संरक्षण कोष के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन मार्च 2023 तक इस पर अमल नहीं हुआ था।

रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 से 2020-21 तक पौधरोपण और वन संरक्षण पर 3459.69 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। लेकिन, 2017 के मुकाबले 2021 में वन आवरण में 100 वर्ग किमी की कमी हुई है। जबकि, इन पांच वर्षों में अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि वन विभाग के पास उपलब्ध बड़े संसाधन और धन खर्च करने के बावजूद वो अपने अभिलिखित वन क्षेत्र में राज्य के वन आवरण को बढ़ाने में सफल नहीं हो सका।

वहीं, जहां वन विभाग का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, वहां पिछले वर्षों की तुलना में हरित आवरण में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। इस बारे में कैग ने अपनी रिपोर्ट में वन विभाग के उत्तर को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वन विभाग समय पर कार्य योजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहा।

Name of the Newspaper	The Times of India
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	ENGLISH
Page No.	03

CAG: 'Bikes', 'scooters' used for ferrying mud for plantation drive

PankajShah@timesofindia.com

Lucknow: The forest and the rural development departments made payments to motorcycles, scooters, and e-rickshaws, showing them as being used for digging and ferrying sand and mud to carry out tree plantations in the state between 2016-17 and 2020-21, the Comptroller and Auditor General report has pointed out.

The 76-page report tabled in the UP Assembly said the anomaly came to the fore while verifying the vouchers which were used in making payments to the tractors and JCBs. The report said in some cases the registration numbers mentioned were those of motorcycles, scooters, and e-rickshaws. "The execution of work by using wrong registration numbers was suspicious and the payment was made by officials without proper verification," the report said.

CAG indicted the two departments for their failure to monitor the plantation of saplings

The report further said payment is required to be done under rules mentioned in the financial handbook. It pointed out chapter IX of the handbook which says that payment should not be done "without checking the quality" of the work and the authenticity of the claim made thereof.

The CAG also indicted the two departments for their failure to monitor the plantation drives, leading to a shortfall of 100sqkm of forest land – indicating the govt's failure to meet the objectives of the state forest policy. It also highlighted the forest department's failure to free its land of encroachments.

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान
Date	02.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	11

88 करोड़ खर्च फिर भी मर गए आठ करोड़ पौधे

लखनऊ। प्रदेश का हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक ओर बड़े पैमाने पर पौधरोपण कराया जा रहा है, वहीं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में तमाम गड़बड़ियों का खुलासा किया है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान प्रदेश में 101.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था जबकि इस अवधि में 103.78 करोड़ पौधे लगाए गए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में अधिक दरों पर पौधे खरीद का खुलासा किया है।

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान
Date	03.08.2024
Edition (H/E)	HINDI
Page No.	02

प्रदेश की नर्सरियों में क्षमता से अधिक उगा दिए गए पौधे

सीएजी रिपोर्ट

■ राजकुमार शर्मा

लखनऊ। नर्सरी में कितने फीसदी हिस्से में और कितने पौधे उगाए जाएंगे, इसके मानक तय हैं। मगर यूपी में वन विभाग अपनी नर्सरियों में इन मानकों का पालन नहीं कर रहा। विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। वन विभाग की 149 नर्सरियों में करीब सवा करोड़ पौधे क्षमता से अधिक उगाए जाने का मामला रिपोर्ट में सामने आया है। पौधरोपण का लक्ष्य बढ़ा तो नई नर्सरियां स्थापित करने की जगह विभाग ने पुरानी नर्सरियों में ही मानकों से अधिक पौधे लगा डाले।

पौधशाला दिग्दर्शिका में तय मानकों के हिसाब से नर्सरी क्षेत्र का 30 से 40 फीसदी क्षेत्र ही पौधे लगाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। बाकी हिस्से का उपयोग बीज और खाद के भंडारण, जर्मीनेशन बेड्स, वर्षा जल निकासी, नर्सरी उपकरण, कर्मचारियों के रहने के क्षेत्र आदि के लिए किया जाना चाहिए। पॉलिथीन बैग और पौधों के आकार के आधार पर एक हेक्टेअर भूमि में 13200 से 320000 पौधे उगाए जाने का मानक भी निर्धारित है। वन रेंज के पौधशाला रजिस्टर की जांच के दौरान लेखा परीक्षा ने देखा कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान 16 वन प्रभागों की 149 नर्सरियों में 1.22 करोड़ पौधे नर्सरी की क्षमता से अधिक उगाए गए।

149 नर्सरियों में सवा करोड़ पौधे क्षमता से ज्यादा

- पौधरोपण का लक्ष्य बढ़ा तो नई नर्सरियां नहीं बनाईं
- पुरानी नर्सरियों में उगा डाले ज्यादा पौधे

तय योजना की जगह मनमाने ढंग से वृक्षारोपण

सीएजी रिपोर्ट में अनियोजित ढंग से वृक्षारोपण की बात भी कही गई है। सीएजी ने पाया कि 18 वन प्रभागों के 537 ब्लाकों में वृक्षारोपण के लिए 6792 हेक्टेअर क्षेत्र चिन्हित किया गया था। मगर 2016-17 से 2021 के बीच 21984 हेक्टेअर में पौधरोपण किया गया, जो कि चिन्हित क्षेत्र से 15192 हेक्टेअर अधिक था। खास बात यह है कि इसी अवधि में वन क्षेत्र का वनावरण भी 100 वर्ग किलोमीटर घट गया।

सीएजी की इस आपत्ति के जवाब में वन विभाग का तर्क था कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य के कारण नर्सरियों में अतिरिक्त पौधे उगाए गए।

ग्राम्य विकास बोला वन विभाग ने दिए खराब पौधे: ग्राम्य विकास विभाग ने 2017 से 2021 के बीच 11 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। इनमें से सिर्फ तीन करोड़ पौधे ही जीवित बचे। इस पर 88 करोड़ का खर्च व्यर्थ गया। ग्राम्य विकास विभाग ने अप्रैल 2023 में सीएजी के साथ हुई एक्जिट कांफ्रेंस में लेखा परीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया। विभाग ने कहा कि वन विभाग द्वारा कम गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति और रखरखाव की कमी के कारण वृक्षारोपण की मृत्यु दर प्रभावित हुई।